# न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री महावीरसिह जोधा)

राजस्व आवेदन संख्या 23/2021 अन्तर्गत धारा 212 रा0का0अधि0

| प्रार्थीनी | बनाम | विप्रार्थीगणा |
|---|---|---|
| देवी पत्नी खुमाणा, जाति– बैलदार, नि0 धारवी कला, तह0 शिव, जिला बाडमेर | | 1. तेजा पुत्र अलसा<br>2. खुमाणा पुत्र अलसा, जातियान– बैलदार, नि0 धारवी कला, तह0 शिव<br>3. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार शिव<br>4. सहायक अभियन्ता जो.वि.वि.नि.लि. बाडमेर |

| दिनांक | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 15/2/21 | प्रार्थीनी के वकील श्री नरेन्द्रसिंह सियाग व दुर्जनसिह राठौड़ ने यह प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट. के तहत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण जरीये नोटिस तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक .................. को पेश हो।<br><br>स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीनी के अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीनी के वकील की बहस है कि प्रार्थीनी व विप्रार्थी संख्या 1 व 2 का संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य की खातेदारी भूमि मूल खेत खसर नम्बर 168, 170 मौजा धारवी कला, पटवार मण्डल– धारवी कला तह0 शिव मे आयी हुई थी। उक्त वादग्रस्त आराजी मे प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 से 2 ने आपस मे बंटवाडा करवा दिया, बाद बंटवाडा प्रार्थीनी व विप्रार्थी संख्या 1 के संयुक्त हिस्सा में खेत खसरा नम्बर 168 रकबा 09.08 बीघा, खसरा नम्बर 170 रकबा 13.11 बीघा, कुल रकबा 22.19 बीघा तथा विप्रार्थी संख्या 2 के हिस्सा में खेत खसरा नम्बर 443/168 रकबा 10.10 बीघा, खसरा नम्बर 447/170 रकबा 02.03 बीघा, कुल रकबा 12.13 बीघा जमीन खातेदार मे दर्ज है। विप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 आपस मे मिलावट कर प्रार्थीनी के कब्जा काश्त मे दखलदाजी करते है तथा विप्रार्थी प्रार्थीनी के कब्जा काश्त की भूमि मे जबरन विद्युत संबंध विप्रार्थी संख्या 4 से प्राप्त करने पर आमादा है ओर विप्रार्थी ताकत के बल पर जबरन अपने वास्तविक कब्जा काश्त को छोड़ कर प्रार्थीनी के कब्जा काश्त व हिस्से की जमीन में विद्युत कनेक्शन प्राप्त कर प्रार्थीनी को जबरन बेदखल करने की धमकिया दे रहा है ओर येन केन प्रकार से प्रार्थीनी को अपनी खातेदारी की कब्जा सुदा भुमि से बेदखल करने पर आमादा है प्रार्थीनी को यह सख्त अन्देशा हो गया है कि विप्रार्थी जो भु–माफिया व आपराधिक प्रवृति व का बदमाश व्यक्ति है जो विप्रार्थी संख्या 4 के साथ मिलावट कर कभी भी प्रार्थीनी को उसकी खातेदारी की कब्जा [illegible] बेदखल कर विद्युत कनेक्शन प्राप्त कर सकता है अगर विप्रार्थीगण ने [illegible] कब्जा काश्त व हिस्से की जमीन मे जबरन विद्युत कने[illegible] अपार हानि होगी जिसकी पूर्ति भविष्य मे नही हो सकेगी।<br><br>"धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम निम्न प्र[illegible] है कि यदि इस अधिनियम के अंतर्गत किसी वाद या कार्यवाही के दौरान शपथपत्र या अन्य प्रकार से यह सिद्व हो जाये कि:–<br><br>(क) कोई सम्पत्ति जिसके बारे मे उक्त वाद या कार्यवाही है, तत्संबद्व किसी पक्षकार द्वारा दुरूपयोग किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने या परकीकरण किये जाने | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.28 11:54:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

04.08.25 पत्रावली पेश। प्रार्थी वकील उपस्थित। पत्रावली वास्ते विपक्षीगण की तामील हेतु अंतिम अवसर दिया जाकर दिनांक 25.08.25 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

25.08.25 पत्रावली पेश। प्रार्थी वकील अनुपस्थित। पत्रावली में प्रभावी पैरवी हेतु न्यायालय समय में प्रार्थी व प्रार्थी वकील को कई-कई बार आवाजें दी जाने के बावजूद अनुपस्थित। अतः पत्रावली में कोई प्रभावी पैरवी नहीं होने तथा प्रार्थी व प्रार्थी वकील के अनुपस्थित रहने पर उक्त आवेदन अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.28 11:54:26 IST
Reason: SelfAttested